न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–178/2015 दायर दिनांक: 08.12.2015

GCMS NO:- 2015/00128

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. चतुर्भुज आत्मज जाति धाकड़ निवासी नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–वादी

बनाम

1/1. धन्नालाल आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी सावतगढ़ हाल निवासी बसन्त विहार बालाजी का पार्क मन्दिर के पास जिला कोटा(राज0)

1/2. गोरधन आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी सावतगढ़ हाल निवासी बसन्त विहार बालाजी का पार्क मन्दिर के पास जिला कोटा(राज0)

1/3 नन्दू पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी सावतगढ़ हाल निवासी बसन्त विहार बालाजी का पार्क मन्दिर के पास जिला कोटा(राज0)

1/4 बालकिशन आत्मज श्री श्रीनाथ जाति ब्राहमण निवासी ब्रजराजपुरा, सुन्दर धर्मशाला के सामने पुरानी सब्जी मण्डी कोटा, जिला कोटा(राज0)

1/5 श्याम सुन्दर आत्मज श्री श्रीनाथ जाति ब्राहमण निवासी ब्रजराजपुरा, सुन्दर धर्मशाला के सामने पुरानी सब्जी मण्डी कोटा, जिला कोटा(राज0)

1/6 सुशील आत्मज श्री श्रीनाथ जाति ब्राहमण निवासी ब्रजराजपुरा, सुन्दर धर्मशाला के सामने पुरानी सब्जी मण्डी कोटा, जिला कोटा(राज0)

1/7 मुन्नी बाई उर्फ शकुन्तला पुत्री श्री श्रीनाथ जाति ब्राहमण निवासी ब्रजराजपुरा, सुन्दर धर्मशाला के सामने पुरानी सब्जी मण्डी कोटा, जिला कोटा(राज0)

1/8 गुडडी बाई उर्फ रमा पुत्री श्री श्रीनाथ जाति ब्राहमण निवासी ब्रजराजपुरा, सुन्दर धर्मशाला के सामने पुरानी सब्जी मण्डी कोटा, जिला कोटा(राज0)

1/9 कमलेश पुत्री श्री श्रीनाथ जाति ब्राहमण निवासी ब्रजराजपुरा, सुन्दर धर्मशाला के सामने पुरानी सब्जी मण्डी कोटा, जिला कोटा(राज0)

1/10 जिनेश कुमार आत्मज श्री नाथूलाल जाति महाजन निवासी वार्ड नं. 8 नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

2/1 महावीर आत्मज श्री प्रभू जाति धाकड निवासी वार्ड नं. 14 नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

2/2 रूकमणी बाई पुत्री श्री प्रभू जाति धाकड निवासी वार्ड नं. 14 नैनवां हाल पत्नी पप्पू निवासी गुढादेवजी तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

2/3 राधाबाई पुत्री श्री प्रभू जाति धाकड निवासी वार्ड नं. 14 नैनवां हाल पत्नी महावीर निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

2/4 कजोडी बाई बेवा श्री प्रभू जाति धाकड निवासी वार्ड नं. 14 नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

3 राधाकिशन आत्मज श्री गोपाल जाति धाकड निवासी [illegible] नैनवां जिला बून्दी (राज0)

4 सुरेश सुखवानी आत्मज श्री ठाकुरदास जाति सिंधी निवासी [illegible] तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

5 आबिद हुसैन आत्मज श्री हमीद मोहम्मद [illegible] तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:35:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1 मदन आत्मज श्री देवीलाल जाति धाकड निवासी वार्ड नं. 7 तेजाजी की गली नैनवां तहसील
नैनवां जिला बून्दी (राज0)
2 ओम आत्मज श्री मोहन जाति धाकड निवासी वार्ड नं. 7 तेजाजी की गली नैनवां तहसील नैनवां
जिला बून्दी (राज0)
7 भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।
8 राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश महोदय बून्दी जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,53,188 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

1. वादी के अभिभाषक श्री रमेश कुमार सिन्धव एड्वोकेट
2. प्रतिवादीगण के अभिभाषक श्री राजेश कुमार ठाकोर, श्री रामबाबू शर्मा, श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी

निर्णय दिनांक 10.03.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि कस्बा नैनवां तहसील नैनवां में भूमि खसरा संख्या
449 रकबा 6–12 बीघा, खसरा संख्या 495 रकबा 13–16 बीघा, खसरा संख्या 499 रकबा 36–13 बीघा,
खसरा संख्या 500 रकबा 10 बीघा, खसरा संख्या 541 रकबा 9–13 बीघा स्थित है। उक्त भूमि के नये
नम्बर इस प्रकार है खाता संख्या 652 के अनुसार खसरा संख्या 445 रकबा 6–16 बीघा, खसरा संख्या
550 रकबा 10 बीघा, खसरा संख्या 553 रकबा 11–13 बीघा, खसरा संख्या 554 रकबा 11 बीघा कुल
किता 4 कुल रकबा 39–09 बीघा स्थित है तथा इसी प्रकार खाता सं. 526 के अनुसार खसरा संख्या 486
रकबा 9–13 बीघा, खसरा संख्या 550/5765 रकबा 3–16 बीघा, खसरा संख्या 553/5766 रकबा 26
बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 39–09 बीघा भूमि स्थित है। जिसे वाद–पत्र में विवादित भूमि के नाम से
जाना जावेगा। यह कि विवादित भूमि रामचन्द्र आत्मज कन्हैया जाति दाधीच निवासी सावंतगढ तहसील
हिण्डोली तथा कल्याण आत्मज श्री रामगोपाल जाति ब्राहमण दाधीच निवासी सावंतगढ के पिता
रामागोपाल वल्द गोविन्द लाल का हिस्सा 1/2 खातेदारी में दर्ज थी, 1/4 हिस्सा रामगोपाल का था,
1/4 हिस्सा रामचन्द्र का था। यह कि वादी ने तत्कालीन खातेदार रामगोपाल के पुत्र कल्याण व रामचन्द्र
से जर्ये रजिस्टर्ड दस्तावेज 21.06.1969 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पर खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था
उस समच भूमि रामगोपाल के खाते में हिस्सा 1/4 दर्ज थी जिसका देहवासान हो चुका था इन्तकाल
नही खुला था उसका एक मात्र वारिस कल्याण वल्द रामगोपाल पुत्र ही था इस कारण वादी ने रामचन्द्र व
कल्याण से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वार भूमि खरीद कर आधिपत्य प्राप्त किया था। यह कि वाद पत्र में
वर्णित भूमि में से वर्तमान भूमि खसरा संख्या 445 रकबा 6–16 बीघा, खसरा संख्या 550 रकबा 10 बीघा,
खसरा संख्या 553 रकबा 11–13 बीघा, खसरा संख्या 554 रकबा 11 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा
39–09 बीघा में से अपने हिस्से 1/4 की भूमि प्रतिवादीगण 3 लगायत 5 को भूमि बैचान कर दी है परन्तु
जितनी भूमि बैचान की उससे ज्यादा का इन्तकाल अवैध व अनाधिकृत रूप से खोल दिया। भूमि खसरा
संख्या 550 रकबा 10 बीघा कोई वादी ने बैचा [illegible] अवैध व अनाधिकृत रूप से वादी का
हिस्सा खसरा संख्या 550 में से हटाकर प्रतिवादीगण 4 व [illegible] में दर्ज कर दिया गया जो प्रविष्टी
अवैध है एवं निरस्त होने योग्य है। यह कि [illegible] भूमि में भी वादी का हिस्सा 1/4
है शेष हिस्सा 1/4 प्रतिवादी प्रभू का है [illegible] नारायण का है। वादी अपने
हिहस्से 1/4 के अनुसार भूमि पर बहैसियत सम्मिलित खातेदार कृषक काबिज चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:35:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...नारायण ने अपना हिस्सा 1/2 की भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.08.1965 को ...दिया मोत्या बाई को बैचान कर दी है इस कारण अब लक्ष्मीनारायण का कोई हक एवं आधिपत्य ...रहा है। लक्ष्मीनारायण के बजाय मोत्या का नाम दर्ज हो चुका है। लक्ष्मीनारायण का नाम विलोपित ...या जाना आवश्यक है एवं लक्ष्मीनारायण की मृत्यु होने से उसके उत्तराधिकरियों का नाम विलोपित ...या जावे। यह कि अवैध व अनाधिकृत रूप से दुर्भावना पूर्वक 39—09 बीघा भूमि में वादी के हिस्से का ...ाजन नही किया गया जबकि वादी ने सम्पूर्ण भूमि 78—18 बीघा में से 1/4 हिस्सा खरीदा था। अतः ...ादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी शेष भूमि 39—09 बीघा के हिस्से 1/4 का वादी को खातेदार कृषक ...षित करवाये एवं भूमि का विभाजन करवाये, लगान अलग से निर्धारित की जावे, विभाजित हिस्से पर ...आधिपत्य प्राप्त करवाकर अलग से जमाबंदी, नक्शा ट्रेश एवं अन्य भू—राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर राजस्व ...रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे तथा एवं खसरा संख्या 550 रकबा 10 बीघा भूमि पर से प्रतिवादी सं. 4 ...सुरेश व 5 आबिद का नाम हटाया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द करवाये कि प्रतिवादीगण वादी के हिस्से का किसी को बैचान, रहन या अन्य प्रकार से अन्तरण नही करे, भूमि को नष्ट भ्रष्ट नहीं करे, बल पूर्वक वादी को बेदखल कर सम्पूर्ण भूमि पर से वादी के हक एवं आधिकपत्य में कोई हस्तक्षेप न तो स्वंय करें और न ही ऐसा किसी अन्य से करवायें एवं लक्ष्मीनारायण का नाम भी विलोपित किया जावे। वादी ने अपने वाद—पत्र के समर्थन में जमाबंदी वादी रकबा 39—09 बीघा, जमाबंदी मोत्या रकबा 39—09 बीघा, मिलान क्षैत्रफल 2028 से 2047, नकल रजिष्ट्री दिनांक 21.06.1969, नकल रजिष्ट्री विक्रय पत्र कृषि भूमि आदि पेश किये।

वादीगण तथा प्रतिवादीगण ने वकील उभयपक्षकारान की उपस्थिति में राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुताबिक राजीनामा कस्बा नैनवां तहसील नैनवां में भूमि खाता संख्या 652 के अनुसार खसरा संख्या 445 रकबा 6—16 बीघा, खसरा संख्या 550 रकबा 10 बीघा, खसरा संख्या 553 रकबा 11—13 बीघा, खसरा संख्या 554 रकबा 11 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 39—09 बीघा भूमि स्थित है यह कि उक्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 धन्नालाल, गोरधन, नन्दूबाई ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.12.2015 के माध्यम से 3/10 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1/10 जिनेश कुमार के पक्ष में बैचान कर दी थी जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1/4 लगायत 1/9 एवं प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/4 व 3 लगायत 5 के नाम दर्ज रिकॉर्ड हो रही है। यह है कि उक्त भूमि का बैचान पूर्व में ही मूल खातेदारान रामचन्द्र व रामगोपाल द्वारा उपने हिस्सा 1/2 की भूमि जर्ये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से वादी चतुर्भुज व प्रभु के हक में बैचान कर मौके पर कब्जा संभला दिया था, जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं हुआ था।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1/10 जिनेश कुमार से उसके पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विकयपत्र की एवज में विक्रयशुदा भूमि की कीमत अदा कर मौके पर प्रतिवादी संख्या 1/10 जिनेश कुमार को कब्जा संभला दिया है। प्रतिवादी संख्या 1/10 जिनेश कुमार के विक्रय शुदा 3/10 हिस्से की भूमि पर वादी को अब किसी प्रकार का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 1/10 जिनेश कुमार अपने हिस्से में आई भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने, रहन या बैचान करने को पूर्ण है तथा प्रतिवादीगण 1/4 लगायत 1/9 के नाम दर्ज भूमिको प्रतिवादी प्रभु के उत्तराधिकारी 2/1 से 2/4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने में प्रतिवादीगण 1/4 लगायत 1/9 को कोई किसी प्रकार का एतराज नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1/4 लगायत 1/9 का वर्णित भूमि में कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहा है अतः राजस्व रिकॉर्ड जमा[illegible] संख्या 1/4 लगायत 1/9 बालकिशन, श्यामसुन्दर, सुशील, मुन्नीबाई उर्फ शकुन्तला, गुडडी [illegible] और कान्ता का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर प्रतिवादी संख्या [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। यह कि प्रतिवादीगण [illegible] 3 लगायत 5 का हिस्सा पूर्व रिकॉर्ड अनुसार यथावत रखा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:35:14 IST
Reason: SelfAttested

श्योराम

Scanned with CamScanner

वाद–पत्र का अवलोकन किया, वाद पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड दस्तावेज व जवाब वाद पत्र का [अव]लोकन किया। वादपत्र में दिनांक 04.03.2021 को वादीगण तथा प्रतिवादीगण ने वकील उभयपक्षकारान [की] उपस्थिति में राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया। राजीनामा पर वकील उभयपक्षकारान को सुना [ग]या। विवादित भूमि पर उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया गया। अतः मुताबिक राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया जाता है। अतः कस्बा नैनवां तहसील नैनवां में भूमि खाता संख्या 652 के अनुसार खसरा संख्या 445 रकबा 6–16 बीघा, खसरा संख्या 550 रकबा 10 बीघा, खसरा संख्या 553 रकबा 11–13 बीघा, खसरा संख्या 554 रकबा 11 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 39–09 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1/10 जिनेश कुमार को 3/10 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तथा उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण 1/4 लगायत 1/9 बालकिशन, श्यामसुन्दर, सुशील, मुन्नीबाई उर्फ शकुन्तला, गुड्डी उर्फ रमा, कमलेश, कान्ता का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 2/1 लगायत 2/4 महावीर आ0 प्रभू जाति धाकड़, रूकमणी पुत्री प्रभू, राधा बाई पुत्री प्रभू एवं कजोड़ी बेवा प्रभू निवासी नैनवां का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा जारी किया जाकर तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:35:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner